प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार एवं उप निरीक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2017

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र			
आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि : 01-08-2017		आवेदन भरने की अंतिम तिथि : 30-08-2017	
आवेदन मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 01-08-2017		आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 04-09-2017	
परीक्षा दिनांक व दिन		**22-10-2017 से 29-10-2017 तक**	
परीक्षा शुल्क			
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये		**दो प्रश्न पत्र के लिये**	रू. 700/-
		एक प्रश्न पत्र के लिये	रू. 500/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)		**दो प्रश्न पत्र के लिये**	रू. 350/-
		एक प्रश्न पत्र के लिये	रू. 250/-
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 70/- देय होगा इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रू. देय होगा ।			

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	**परीक्षा की पाली**	**अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय**	**महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय**	**उत्तर अंकित का समय**
तकनीकी पदो के लिये				
22-10-2017 से 29-10-2017 तक	**एक**	**प्रात:** 07:30 **बजे**	08:50 **से** 09:00 **बजे तक** (10 **मिनट**)	**प्रात:** 09:00 **से** 11:00 **बजे तक** (2:00 **घंटे**)
तकनीकी/अतकनीकी दोनो के लिये				
22-10-2017 से 29-10-2017 तक	**द्वितीय**	**अपरान्ह** 12:30 **बजे**	01:50 **से** 02:00 **बजे तक** (10 **मिनट**)	**सायं** 02:00 **से** 05:00 **बजे तक** (3:00 **घंटे**)

टिप्पणी :-

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
2. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
3. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
4. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है
5. मण्डल द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक अथवा अन्य को चयनित कर सकता है। ई आधार मान्य नहीं है।
6. मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
7. **उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।**
8. परीक्षा में भर्ती हेतु आदिम जनजाति(बैगा,सहारिया एवं भारिया) के उम्मीदवारो को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा, वे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन कर सकते है ।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.i

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार एवं उप निरीक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2017

विषय सूची

क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	01	**पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार एवं उप निरीक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2017 के लिए विभागीय नियम**	**03-23**
2.	**2**	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	**24-41**
3	**3**	परीक्षा का पाठ्यक्रम	**42-44**
4.	**प्रारूप-1**	प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	**45**
5.	**प्रारूप-2**	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	**46**
6	**प्रारूप-3**	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	**47**
7	**प्रारूप-4**	अन्य प्रारूप	**48-51**

अध्याय - 1

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार एवं उप निरीक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2017 के लिए विभागीय नियम

1.1 सामान्य :-

क्रं .**पुमु/2-चयन-स/1/ 1186/17, दिनांक25/05/2017**के अनुसार मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक (जि.पु.ब.), उप निरीक्षक (वि.शा.), उप निरीक्षक(क्यू.डी.), उप निरीक्षक(रेडियो), उप निरीक्षक (अं.चि.),उप निरीक्षक (विसबल) एवं उप.नि. (आयुध) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष एवं महिला तथा उप निरीक्षक(विसबल) के रिक्त पदों पर केवल पुरूष उम्मीदवारो से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त सभी पद कार्यपालिक पद है ।

1.2 परिभाषायें:-

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

(ब) ''समिति'' से अभिप्रेत है - राज्य शासन द्वारा गठित की गई चयन समिति।

(स) ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है - मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेश बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

(द) ''द्वितीय चरण'' से अभिप्रेत है - पुलिस विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक नापतौल, शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् साक्षात्कार।

(ई) ''पीईबी'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेश बोर्ड, भोपाल है।

(फ) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

3. रिक्त पदों की तालिका:-

आवेदक केवल उसी पद हेतु आवेदन करें जिस पद की वह अर्हता रखता है।

स.क्र.	पदनाम	Unreserved					ST					SC					OBC					
		Total	Nil		ExSM	Police	Total	Nil		ExSM	Police	Total	Nil		ExSM	Police	Total	Nil		ExSM	Police	Total
			Open	Women	Open	Open		Open	Women	Open	Open		Open	Women	Open	Open		Open	Women	Open	Open	
1	सूबेदार	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
2	उप.नि.(जि.बल)	**208**	87	69	21	31	**83**	36	27	8	12	**66**	27	22	7	10	**58**	24	19	6	9	**415**
3	उप.नि.(विशा)	**20**	8	7	2	3	**12**	5	4	1	2	**5**	1	2	1	1	**0**	0	0	0	0	**37**
4	उप.नि.(क्यू.डी.)	**7**	3	2	1	1	**4**	2	1	0	1	**4**	2	1	0	1	**3**	2	1	0	0	**18**
5	उप.नि.(रेडियों)	**6**	2	2	1	1	**4**	2	1	0	1	**6**	2	2	1	1	**2**	1	1	0	0	**18**
6	उप.नि.(अ.चि.)	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**1**	1	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**1**
7	उप.नि.(विसबल)	**52**	39	0	5	8	**21**	16	0	2	3	**16**	12	0	2	2	**14**	11	0	1	2	**103**
8	उप.नि.(आयुध)	**10**	4	3	1	2	**4**	2	1	0	1	**3**	2	1	0	0	**2**	1	1	0	0	**19**
	योग	**303**	143	83	31	46	**128**	63	34	11	20	**101**	47	28	11	15	**79**	39	22	7	11	**611**

नोट:- स.क्र. 07 उप.नि.(विसबल) पद हेतु केवल पुरूष अभ्यर्थी ही आवेदन करें ।

नोट - (1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक- सी-3-8-2015-एक-3 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 'हारीजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्ट वाईज' निर्धारित किया गया है। 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, तथा म0प्र0शासन, गृह विभाग के राजपत्र क्र.एफ-2(अ) 96-2015-बी-4-दो दिनांक 05 मार्च 2016 द्वारा 15 प्रतिशत पद मध्यप्रदेश पुलिस कर्मियों के लिए आरक्षित है। ये तीनों ही हारीजोन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगें। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। यदि चयन सूची में पहले से ही 33 प्रतिशत महिलायें, 15 प्रतिशत पुलिस कर्मी एवं 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि कुल पदों के 15 प्रतिशत पद पुलिस विभाग के उन कर्मचारियों के लिये आरक्षित रखें जाएंगे जिन्होंने कम से कम 6 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो तथा सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उन्हें कोई भी बडी सजा नहीं मिली हो। इस हेतु आरक्षण के पात्र पुलिस कर्मियों को इकाई प्रमुख द्वारा जारी तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भारत सरकार: कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के परिपत्र .-No-36034/1/2014-Estt/Res दिनांक 14.08.14 में निहित प्रावधान अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जो पूर्व में भूतपूर्व सैनिकों को प्रदाय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके है उन्हें पुनः भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

यहॉ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है। जबकि महिलाओं, पुलिस कर्मियों तथा भूतपूर्व सैनिको के लिये आरक्षण ''हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज'' स्वरुप का है । इन दो आरक्षणो में अन्तर मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्द्रा साहनी विरूद्ध भारत संघ (1992 SUPP(3) SCC-217) में स्पष्ट किया गया है। हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्.उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है { संदर्भ '' 1995 (2) SUPP, SCR-396, 1995(5) SCC- 173} का अनुसरण किया जाता है । वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा (Civil Appel No. 3609 of 2017 दीपा ई.बी. विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित निर्णय का भी अनुसरण किया जावेगा ।)

यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उप निरीक्षक (विसबल)के पद मात्र पुरूष उम्मिदवारों से ही भरे जाने है ।अत: इन पदों को छोडकर शेष संवर्ग में आरक्षण नियमों के अनुसार योग्य महिला उम्मीदवार न मिलने पर पद केरी फारवर्ड नहीं होगा बल्कि उसी जाति के योग्य पुरूष से भरा जायेगा।

(2) स.क्रं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 8 के रिक्त पदों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत हारीजोण्टल एवं कम्पार्टमेण्टवाइज आरक्षण शामिल है । उप निरीक्षक विसबल के पदों को छोड़कर शेष सभी पदों के लिये महिलायें भी रिक्त पदों के अनुरुप आवेदन कर सकती है।

(3) शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती हैं।

(4) भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे भू.पू.सैनिक से है जो उक्त परीक्षा में आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक तक या उससे पूर्व सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हो।

(5) अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ।

1.4 **पदों का वेतनमान :-**

समस्त पदों का वेतनमान: रू. 9300-34800/- एवं ग्रेड वेतन - 3600/-

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम-4/ दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ-9/डी/2003 नियम-4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई हैं।

1.5 **परीक्षा केन्द्र :-** परीक्षा केन्द्रों का विवरण अध्याय-2 में देखें।

1.6 **निर्धारित आयु सीमा-:**

अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष से कम एवं 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

उच्चतर आयु सीमा में छूट-:

निम्न संवर्गो के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है-:

1.6.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 13 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी अर्थात इस जाति वर्ग के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष से कम एवं 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

1.6.2 मध्य प्रदेश शासन के स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवकों की अधिकतम आयु दिनांक 1 जनवरी 2018 को 38 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1.6.3 मध्य प्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक, या मध्य प्रदेश शासन में अस्थायी पद धारण करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष ही रहेगी। मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगममण्डल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये / शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी/कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यन्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

1.6.4 स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नान-कमीशन्ड अधिकारियों के प्रकरण में अधिकतम 8 वर्ष की कालावधि एवं 38 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत उनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई सेवा की कालावधि तक शिथिल की जावेगी। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थ्यता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

1.6.5 यहॉ स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्थानीय निकायों जैसे जिला पचांयत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी है, उन्हें अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं है। अधिकतम आयु-सीमा में छूट हेतु स्थानीय निकायों में कार्यरत ऐसे अनेक उम्मीदवारो की याचिकाऐं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है:-

1. मान्.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा खारिज की गई याचिकाएं :-

(1) रिट याचिका क्र 3629/08 द्वारा अरूण सिंह भदौरिया विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य, {संदर्भ 2009(2)एम.पी.एच.टी.-277 },

(i) 1930/11 पंकज कुमार रैले विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(ii) 18940/11 अमित सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(iii) 18203/11 दुष्यंत यादव विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(iv) 1856/11 रंजनीश कुमार अग्निहोत्री विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(v) 18564/11 रंजनीश सिंह, विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(vi) 18763/11 दयाल सिंह लबामा विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(vii) 19634/11 प्रदीप कुमार राजपूत विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(viii) 21397/11 कैलाश चन्द्र अवधिया एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(ix) 20139/11 मनोज राज सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(x) 20518/11 नीरज पाण्डेय एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(xi) 21025/11 अनिल मिश्रा जिला एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(2) मान्.उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा खारिज की गई याचिकाएं:-

(i) 7812 /2011 पुनीत चौहान एवं अन्य 10 विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(ii) 6645/2011 राजेश प्रताप सिंह बैस एवं अन्य 50 विरूद्ध म.प्र शासन एवं अन्य,

(iii) 8196/2011 पवन भदौरिया एवं अन्य 7 विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(iv) 8303/2011 निरंजन सिंह तोमर एवं अन्य 4 विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(v) 8327/2011 रविन्द्र सिंह बुंदेला एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(3) मान्.उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा खारिज की गई याचिकायें :-

(i) 9178/11 कु.निर्मला शर्मा इंदौर विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(ii) 9352/11 रामेन्द्र सिंह परमान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(iii) 9447/11 विजय कुमार रावज विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(iv) 9388/11 सुधीर मोहन अग्रवाल एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(v) 9322/11 विजेन्द्र पाल सिंह एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(vi) 9203/11 कनक सिंह चौहान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(vii) 9730/11 अभिषेक सिंह चौहान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(viii) 9366/11 शेलेन्द्र सिंह सिसोदिया विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(ix) 9024/11 राजेन्द्र भदौरिया विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(x) 9905/11 सुनील पटेल विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(xi) 10295/11 शबाना खान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(xii) 10237/11 ज्ञान सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(xiii) 10207/11 अशोक कुमार विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

1.6.6 केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई।

सी.आर.पी.एफ, बी.एस.एफ, आई.टी.बीपी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्ध सैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है। शासकीय सेवकोंको उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने एवं चयन से हुई नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी और ऐसी लिखित अनुमति को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

1.6.7 छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरुप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात 36 वर्ष से अधिक न हो। छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा किन्ही भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी।

1.6.8 उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरुप उनकी आयु अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अर्थात 36 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है। दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूत पूर्व सैनिको के लाभ प्राप्त नहीं होगें।

1.6.9 भूतपूर्व सैनिक सवंर्ग में भू-सेना, क्षेत्रीय सेना या केन्द्र शासन के पुलिस या अर्द्धसैनिक बलों के भूतपूर्व कर्मी शामिल नहीं होंगे।

1.6.10 **विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यार्थी :-** अनारक्षित श्रेणी की विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा दिनांक1 जनवरी 2018 को 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा

महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी 2018 को 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

1.6.11 **प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें -**

1.6.11.1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्र्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1.6.11.2 ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1.6.11.3 बिन्दु क्रमांक 1.6.11.1 से 1.6.11.2 का प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी । बिन्दु 1.6.11.2 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूट, बिन्दु 1.6.1 से 1.6.9 तक मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी ।

1.6.12 सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शासन द्वारा अधिकतम आयु सीमा में दी गई छूटें, गृह (पुलिस), वन, आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालिक पदों पर लागू नहीं होगी। तद्नुसार इस परीक्षा हेतु राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी । अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवारत महिला आवेदकों की अधिकतम आयु सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए 38 वर्ष ही रहेगी।

1.6.13 अधिकतम आयु सीमा में उपरोक्त छूटें मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होंगी। इस चयन परीक्षा के लिये मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी 2018 को कालम में दर्शाई गई आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिये:-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल, के आदेश क्र; 3-8/2016/3 भोपाल, दिनांक 05 जून, 2017 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

1.

क्र.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/ अराजपत्रित/ कार्यपालिक) के लिए	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदो के लिए	**21 से 28**	**18 से 25**

2.

मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट :-

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28 + 05 = 33	25 + 08 = 33
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/नि:शक्तजन	28 + 10 = 38	25 + 13 = 38

नोट- 1- अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होंगी इस हेतु **मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य** है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को उपरोक्त छूटें अथवा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल होने की पात्रता होगी।

2- किसी भी स्थिति में सभी प्रकार की छूटे प्राप्त होने पर भी अभ्यर्थी की वर्तमान आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार:-

01 प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।

02 **आदेश की कण्डिका 3.** तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

1.6.14 किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारुप में प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका के अध्याय-3 में दर्शाए गए हैं।

1.6.15 **सन्तान के सम्बन्ध में:-**

कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु ऐसा अभ्यर्थी निर्रहित नही होगा यदि उसकी एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तानों का जन्म होता है ।

1.7 **न्यूनतम शारीरिक अर्हता:-**

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए:-

1.7.1 उँचाई: पुरूष - 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक
महिला - 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक

1.7.2 सीना: पुरूष - सीना बिना फुलाये 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर 86 सेंटीमीटर (अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक हैं इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।)

1.7.3 अभ्यर्थी को शारीरिक रुप से अपंग नहीं होना चाहिये।

1.7.4 अभ्यर्थी में 'नॉक-नी' अथवा 'फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।

नोट :- न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

1.8 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:-

क्र.	पदनाम	पद का प्रकार	शैक्षणिक अर्हताऐं
1	सूबेदार	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य
2	उप निरीक्षक (जिला पुलिस बल)	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य।
3	उप निरीक्षक (विशेष शाखा)	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य।
4	उप निरीक्षक (आयुध)	तकनीकी पद	मान्यता प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा।
5	उप निरीक्षक (क्यू. डी.)	तकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विषय के साथ स्नातक या उसके समतुल्य उपाधि।
6	उप निरीक्षक (रेडियो)	तकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक/ इलेक्ट्रिकल, टेली कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में 03 वर्ष का डिप्लोमा।
7	उप निरीक्षक (अंगुली चिन्ह)	तकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विषय के साथ स्नातक या उसके समकक्ष या उसके समतुल्य उपाधि।
8	उप निरीक्षक(विसबल)	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य

नोट- (1) उप निरीक्षक अंगुली चिन्ह, एवं क्यू.डी. के तकनीकी पदों हेतु शैक्षण्कि अर्हता गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक या समतुल्य उपाधि निर्धारित है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि समतुल्य उपाधि में वह इंजीनियंरिंग स्नातक डिग्री जिसमें गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र तीनों विषय शामिल रहे हों, को ही मान्य किया जावेगा।

(2) भूतपूर्व सैनिको की शैक्षणिक योग्यता हेतु भारत सरकार - कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 12 फरवरी 1986 तथा म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3-3-86-3 एक दिनांक 24 फरवरी 1987 के द्वारा मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2(क) में किये गये संशोधन अनुसार मेट्रिक उत्तीर्ण ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसने 15 वर्ष की सेवा उपरांत (जिस पद के अन्तर्गत वह भूतपूर्व सैनिक भी आता है, जिसने भारतीय सेना शिक्षा विशेष प्रमाण पत्र या नौ-सेना या वायु सेना के तत्स्थानी प्रमाण पत्र अभिप्राप्त कर लिया हो) मप्र पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1997 में स्नातक के समकक्ष मान्य किया गया है ।

1.8.1 **शैक्षणिक योग्यता में छूट:-**

शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से मान्यता प्राप्त न हो।

1.8.2 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य हैं।

1.8.3 निर्धारित समस्त **<u>अर्हताएं/प्रमाण पत्र</u>** आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये, अर्थात यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष स्नातक की परीक्षा में बैठा है और उसके पास स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।

1.8.4 इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा प्रोफेशनल एक्जामिनेश बोर्ड भोपाल को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन-लाईन (M.P. Online) के माध्यम से भरे जाते है । किसी भी उम्मीदवार को एक आवेदन जमा करने की पात्रता है। यदि कोई उम्मीदवार एक आवेदन जमा करने के बाद केन्द्र के परिवर्तन आदि के लिये दूसरा आवेदन जमा करना चाहता है तो उसे अपना पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त करना होगा, उसके बाद ही नया आवेदन स्वीकार किया जावेगा ।

1.9 **परीक्षा की योजना :-**

प्रोफेशनल एक्जामिनेश बोर्ड भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसके साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किए जाने होंगे। ऑनलाईन आवेदन-पत्रों की स्क्रुटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय-2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाईट **www.peb.nic.in** पर उपलब्ध होंगे।

सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग की चयन परीक्षा को निम्न लिखित तीन चरणो में संपन्न कराया जावेगा :-

1- प्रथम चरण - लिखित परीक्षा

2- द्वितीय चरण - शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा

3- तृतीय चरण - साक्षात्कार

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को आवेदन पत्र एमपी ऑन लाईन (M.P. Online) के माध्यम से भरे जाते है। आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पीईबी अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवारो का निम्नलिखित परीक्षण किया जावेगा:-

1 - उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण पत्रो का परीक्षण।

2 - उम्मीदवार की ऊँचाई एवं सीने का माप।

3 - उम्मीदवार की नॉक-नी एवं फ्लेट फुट का परीक्षण।

उपरोक्त तीनो परीक्षणो में सफल होने पर उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी ।

यदि मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आन लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी उसी चरण पर समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी। यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी चरण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो। यदि उम्मीदवार उपरोक्त तीनो परीक्षणो में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में सफल होता है, तभी उसे साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा ।

1.9.1 प्रथम चरण - लिखित परीक्षा :-

मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड , भोपाल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में विषय, समय, अवधि एवं अधिकतम अंक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में निम्नानुसार होंगे:-

क्रं.	प्रश्न पत्र	पद प्रकार, जिसके लिये प्रश्न-पत्र लागू होगे	अवधि	अधिकतम अंक
1	विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र)	तकनीकी	02 घंटे	100
2	हिन्दी, अंग्रेजी में दक्षता एवं सामान्य ज्ञान	तकनीकी/अतकनीकी दोनो के लिये	03 घंटे	200

नोट :- (क) अभ्यर्थियों के लिये सूबेदार/उप निरीक्षक(जिला बल)/उप निरीक्षक विसबल एवं उप निरीक्षक (विशेष शाखा) के पद के लिये हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता तथा सामान्य ज्ञान की परीक्षा अनिवार्य है।

(ख) उप निरीक्षक (रेडियो) उप निरीक्षक (क्यू.डी./अंगुली चिन्ह) एवं उप निरीक्षक (आयुध) के पदों के लिये हिन्दी/अंग्रेजी में दक्षता, सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान तीनों परीक्षायें अनिवार्य हैं।

(ग) आवेदक को लिखित परीक्षा के लिये पीईबी द्वारा जारी प्रवेश-पत्र तथा काला बॉल प्वाइंट पेन अपने साथ लाना होगा।

(घ) परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाईल आदि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(ङ) लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को पीईबी की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः- आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेस, आयकर विभाग का पेनकार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। ई आधार मान्य नहीं है।

(च) नकल - लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुये अथवा नकल सामग्री के साथ पकड़ा जावेगा उसे तीन वर्षों के लिये सूबेदार/उपनिरीक्षक सवंर्ग आदि प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.9.2 **लिखित परीक्षा की मेरिट सूची:-**

प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट अनुसार, विज्ञापित रिक्त पदों के जाति वर्ग अनुसार 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षाओं - शारीरिक दक्षता परीक्षा व साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। जाति वर्ग अनुसार 5 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त

करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 5 गुना से अधिक हो जावे।

गैर तकनीकी पदों (सूबेदार, उप निरीक्षक(जिला बल), उप निरीक्षक (विशेष शाखा) एवं उप निरीक्षक विसबल) तथा तकनीकी पदों (उप निरीक्षक - क्यू.डी. अं.चि., रेडियो, आयुध) के लिये पृथक पृथक सूची बनायी जायेगी। चूँकि योग्य उम्मीदवार दोनो ही प्रकार के पदों के लिये प्राथमिकता दे सकते हैं, अतः यदि कोई उम्मीदवार मेरिट के आधार पर गैर तकनीकी वर्ग की सूची में होते हुये भी तकनीकी वर्ग की सूची के लिये भी पात्र होता है तो तकनीकी वर्ग की सूची में ऐसे उम्मीदवार के नाम शामिल होंगे, किन्तु तकनीकी वर्ग की सूची हेतु 5 गुनी संख्या का आंकलन करते समय इनकी गणना नहीं की जावेगी।

लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की सूची रोल नंबर क्रम में, पीईबी द्वारा द्वितीय चरण की परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु पुलिस विभाग की चयन समिति को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे ।

उम्मीदवारों को उनके लिखित परीक्षा के परिणाम की जानकारी पीईबी की वेबसाईट से मिल सकेगी। पीईबी की वेबसाईट पर उम्मीदवार की परिणाम पर्ची उपलब्ध होगी जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा। परिणाम पर्ची में उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे। पीईबी की वेबसाईट से डाउनलोड होने वाली परिणाम पर्ची के साथ ही उम्मीदवारों को उनके द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार के लिए केन्द्र एवं तिथि एवं उनसे सम्बधित जानकारियां ज्ञात हो सकेंगी। उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना पत्र नहीं भेजा जावेगा ।

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन-लाईन (M.P. Online) के माध्यम से भरे जाते है। आवेदन- पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पीईबी अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है,। साथ ही लिखित परीक्षा के पूर्व उम्मीदवारों का उंचाई तथा सीने की नाप जोख नहीं कराई जाती है ऐसी स्थिति में उंचाई तथा सीने की नाप हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण नहीं करने वाले उम्मीदवारों के सम्मिलित होने की संभावना रहेगी। अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) है। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है ।

यदि मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आन लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी ।

1.9.3 **द्‌वितीय चरण - शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट व साक्षात्कार:-**

उम्मीदवारों को उनके लिखित परीक्षा के परिणाम की जानकारी पीईबी की वेबसाईट से मिल सकेगी। पीईबी की वेबसाईट पर उम्मीदवार की परिणाम पर्ची उपलब्ध होगी जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा। परिणाम पर्ची में उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे। पीईबी की वेबसाईट से डाउनलोड होने वाली परिणाम पर्ची के साथ ही उम्मीदवारों को उनके द्‌वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार के लिए केन्द्र एवं तिथि एवं उनसे सम्बधित जानकारियां ज्ञात हो सकेंगी। उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना पत्र नहीं भेजा जावेगा।

द्‌वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट व साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठित चयन समिति द्‌वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित करायी जावेगी।

1.9.4 **प्रमाण प़त्र एवं दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) मूलतः प्रस्तुत करना:-**

आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करेंगे, द्‌वितीय चरण में पुलिस विभाग द्‌वारा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नलिखित प्रमाण प़त्र एवं दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-

(1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों।

(2) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (डिग्री या सर्टिफिकेट)।

.

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्‌वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी द्‌वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।

(4) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र।

(5) पुलिस कर्मियों के प्रकरणों में इकाई प्रमुख द्‌वारा जारी 6 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने एवं सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान कोई बड़ी सजा न होने संबंधी प्रमाण पत्र।

(6) पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(7) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रुप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि

विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है।

(8) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्र्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति / पत्नी उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(9) ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में छूट ''विक्रम पुरस्कार'' हेतु पुरस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(10) विवाहित उम्मीदवार को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र।

(11) **आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।**

नोट :- (1) सत्यापन के समय समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों को मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि चयन समिति के समक्ष जमा करना होगा अतः द्वितीय चरण की परीक्षा में उम्मीदवार प्रमाणित प्रतिलिपियों का एक सैट अपने साथ ले कर उपस्थित होंगे। अध्याय-3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

(2) यदि मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा ऑन लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी उसी चरण पर समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे अगले चरण में भाग लेने तथा किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी।

1.9.5 **शारीरिक माप परीक्षण:-**

शारीरिक माप मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जायेगी।

1.9.6 **शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट:**

पुलिस विभाग द्वारा लिये जाने वाले शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षण तीन विधाओं अर्थात 800 मीटर दौड़, लंबी कूद तथा गोला फेंक में सम्पन्न किया जावेगा।

उक्त तीनों विधाऐं क्वालीफाईंग स्वरुप की होगी, अर्थात इसके कोई अंक नहीं प्रदान किये जाएंगे। 800 मीटर दौड़ में क्वालीफाई करने हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित हैं:-

(1) 800 मीटर दौड़

क्रं.	**उम्मीदवार**	**800 मीटर दौड़ क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित अधिकतम समय**
1	पुरूष	02 मिनिट 40 सैकेण्ड (एक अवसर)
2	महिला	03 मिनिट 30 सैकेण्ड (एक अवसर)
3	भूतपूर्व सैनिक	03 मिनिट 15 सैकेण्ड (एक अवसर)

(2) लम्बी कूद

क्रं.	**उम्मीदवार**	**लंबी कूद क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित न्यूनतम दूरी**
1	पुरूष	13 फीट (तीन अवसर)
2	महिला	10 फीट (तीन अवसर)
3	भूतपूर्व सैनिक	10 फीट (तीन अवसर)

(3) गोला फेंक

क्रं.	**उम्मीदवार**	**गोंला फेंक क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित न्यूनतम दूरी**
1	पुरूष	19 फीट (गोले का वजन 7.260 कि.ग्रा.) (तीन अवसर)
2	महिला	15 फीट (गोले का वजन 4 कि0ग्रा0) (तीन अवसर)
3	भूतपूर्व सैनिक	15 फीट (गोले का वजन 7.260 कि0ग्रा0) (तीन अवसर)

यह उल्लेखनीय है कि उम्मीदवारों को उक्त तीनों विधाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा की किसी भी एक विधा में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा और उनका साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा।

नोटः- शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी। अभ्यर्थियों को उनकी शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। उक्त शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में तिथि परिवर्तन के लिये अभ्यर्थी का चिकित्सीय प्रमाण पत्र अथवा किसी प्रकार का अन्य कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

1.9.7 **साक्षात्कार :-**

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा लिया जायेगा, जिसका आयोजन पुलिस विभाग करेगा। साक्षात्कार हेतु अधिकतम 10 अंक होंगे।

1.9.8 **बोनस अंक :-**

किसी भी विधा में विशेष योग्यता के लिये कोई बोनस अंक प्रदान नहीं किये जावेंगे ।

1.10 **यात्रा किराया :-**

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा/साक्षात्कार के लिये मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

1.11 **चयन सूची :-**

नोटः- द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित कराई जावेगी, जिसमें सफल उम्मीदवारों के प्राप्तांकों सहित सूची पी.ई.बी. को उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात भर्ती के लिये अन्तिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षा में सफल होने तथा साक्षात्कार में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार कर मंडल द्वारा पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर चयन समिति उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची प्रकाशित करेगी। अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न पदों के लिये दिये गये अधिमान्य (प्रिफरेन्स) तथा मेरिट सूची में ज्येष्ठता (सीनियरटी) के आधार पर पद आवंटित किया जावेगा। कोई अधिमान्यता न दिये जाने या पूरे पदों के लिये अधिमान्यता न देने की स्थिति में चयन समिति कंडिका- 1.3 में दिये गये पदों के क्रम में चयन का प्रस्ताव देने अथवा कोई पद आवंटित न करने की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि किसी उम्मीदवार के पास कोई ऐसी योग्यता हैं जो चयन समिति की राय में किसी पद विशेष के लिये अत्यंत उपयोगी हैं तो चयन समिति पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन पश्चात् ऐसे उम्मीदवार की ऐसे पद पर चयन की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

1.12 **पारस्परिक वरीयता:-**

समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम **CUT-OFF** मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

1.13 **प्रतीक्षा सूची:-**

किसी भी संवर्ग या पद के लिये कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जावेगी ।

1.14 **नियुक्ति के पूर्व किये जाने वाले परीक्षण:-**

1.14.1 चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण मेडिकल बोर्ड से कराया जायेगा। नियुक्ति के लिये पात्रता हेतु उम्मीदवार का 'मेडिकली फिट' होना भी अनिवार्य है।

1.14.2 चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत शासकीय सेवा हेतु चयनित उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन हेतु मध्य प्रदेष शासन गृह विभाग द्वारा परिपत्र आदेश क्रमांक एफ 17-74/2002/C-1 दिनांक 05/06/2003 द्वारा दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं। सामान्य प्रकरणों में इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है । 'पुलिस सेवा के लिये योग्य' चरित्र पाये जाने वाले उम्मीदवारों को ही नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

1.14.3 पुलिस विभाग में सेवा हेतु चयनित ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं, की नियुक्ति हेतु उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का निर्णय मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा कमिश्नर आफ पुलिस विरुद्ध मेहर सिंह के प्रकरण में दिनांक 02/07/2013 को पारित निर्णय में प्रतिपादित किये गये न्याय दृष्टान्त का अनुसरण किया जाता है जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा नैतिक अधोपतन के आयाम वाले अपराधिक प्रकरण में उन्मोचित किये जाने पर भी अभ्यर्थी पुलिस सेवा के लिये अयोग्य रहेगे । इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में सेवा हेतु चयनित ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं, की नियुक्ति हेतु उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का विचारण मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07/10/2013 को पारित निर्णय के पालन में पुलिस मुख्यालय में गठित की गई **"स्क्रीनिंग कमेटी"** द्वारा किया जाता है। अतः ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं, विचारण न्यायालय द्वारा नैतिक अधोपतन के आयाम वाले अपराधिक प्रकरण में उन्मोचित किये जाने पर भी "स्क्रीनिंग कमेटी" द्वारा पुलिस सेवा के लिये अयोग्य ठहराये जा सकेगे। ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं, उनका विचारण न्यायालय से अपराधिक प्रकरण में उन्मोचित किये जाने पर भी पुलिस विभाग में नियुक्ति हेतु कोई दावेदारी नहीं बनती है ।

1.14.4 यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह नियुक्ति के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नही दी जावेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में नियुक्ति के अयोग्य घोषित किये जाने पर नियुक्ति की पात्रता नही होगी और ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1.15 **नियुक्ति :-**

(1) उम्मीदवारो को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(2) नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।

(3) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

(4) जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

(5) निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा । नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(6) इस चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की आपसी सहवरिष्ठता (पारस्परिक ज्येष्ठता) चयन परीक्षा में प्राप्त अंको के 50 प्रतिशत अनुपात एवं बुनियादी प्रशिक्षण की मुख्य परीक्षा में अर्जित अंको के 50 प्रतिशत अनुपात से प्राप्त सकल अंको के आधार पर नियत की जाएगी। यदि दो या दो से अधिक परिवीक्षार्थी सकल अंको में समान अंक प्राप्त करते है तो उनकी प्रवीण्यता उनकी आयु के क्रम से विनिश्चत की जावेगी।

परंतु कोई परीवीक्षाधीन जो बीमारी या किसी अन्य कारण से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है या किसी विषय/विषयों या प्रश्न-पत्र/प्रश्न पत्रों आदि के लिये विहित किये गये न्यूनतम अंक अर्जित करने में असफल रहता है तथा पश्चात्वर्ती रूप से परीक्षांए उत्तीर्ण कर लेता है तो उस परीवीक्षाधीन को ऐसी परीक्षा/पुन: परीक्षा में प्रदान किये गये अंको की गणना उसकी ज्येष्ठता निर्धारित करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(7) इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी स्थापना से सम्बन्धित प्रकरण जैसे पारस्परिक वरीयता, स्थायीकरण, वेतन वृद्धियां आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के प्रावधानों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय पर बनाये गये विभिन्न नियमों के अनुसार निर्धारित की जावेंगी ।

(8) चयनित उम्मीदवार को पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अन्तर्गत राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध

अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू), लोकायुक्त, फायर ब्रिगेड व ऐसी अन्य संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।

1.16 **प्रशिक्षण :-**

नियुक्ति उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथक से भेजी जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व निर्धारित किये गये प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र-शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी जब तक सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक उसे प्रशिक्षण संस्था में ही रखा जायेगा। उक्त दोनों अवसरों में प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं करने पर उसे एक माह का नोटिस देकर सेवा से मुक्त (बर्खास्त) कर दिया जायेगा।

1.17 **सामान्य निर्देश :-**

यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारो को आयु , शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

अति. पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

अध्याय-2

प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

<u>खण्ड-अ</u>

2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**

(ii) **आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।**

(iii) **अभ्यर्थी** अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

(iv) **उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।**

2.2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये</u> ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

(vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर **अभ्यर्थी** की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।(उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

2.5 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये ।

(ख) नेपाल की प्रजा होना चाहीये ।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंतत: जारी कर दिया जाए।

(II) **ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ।**

2.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

विभागीय नियमों के अनुसार

2.7 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

विभागीय नियमों के अनुसार

2.8 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

विभागीय नियमों के अनुसार

2.9 नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए:-

म.प्र. कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1997 राजपत्र क्र. 20 दिनांक 16.05.1997 की कंडिका 8(2) शारीरिक अर्हता (ग) में अभ्यर्थी को शारिरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिये ।

2.10 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.11 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.12 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.13 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियॉ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

(ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

(v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.13 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

$\bar{M}_t^g$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

$\bar{M}_{ti}$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

2.14 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदनः–

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.13 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.15 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) **अनुचित साधन** (Unfair means)/ यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा ।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करनाव अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
4 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है ।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) परुपधारण **(IMPERSONATION)** के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में

1.अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.16 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाऐंगी ।

(v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी ।

2.17 परीक्षा परिणाम :-

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.18 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.19 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

<u>खण्ड-ब</u>

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-03** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.21 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-03** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ <u>आवेदन भरने की तिथि</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।</u> यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2.22 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने के पश्चात् ही कियोस्क धारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्क धारक को करें।

(iv) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.23 <u>ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :</u>

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) **आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।**

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक अनिवार्यत: अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**

1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना ।
2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टी करना इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके ।
3. जिन अभ्यर्थियों का आधार नामांकन में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर परिवर्तित होगा उन अभ्यर्थियों को मात्र आधार नम्बर प्रविष्ट करना पार्याप्त होगा, किन्तु वे e-KYC का लाभ नहीं ले सकेंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां करनी पडेगी ।
4. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाना है अब तक यह सत्यापन आधार (Aadhar) से लिंक नहीं था । इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्टेशन डेस्क पर स्वत: हो सकेगा ।

5. जिन अभ्यर्थियों के पास आधार नम्बर नहीं है उनका Biometric Data/Thumb impression रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पृथक से Capture किया जायेगा तथा इस डाटा को पी.ई.बी. के सर्वर में नियमानुसार सुरखित रखा जायेगा ।

6. यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन डेस्क पर Biometric सत्यापन पर कोई त्रुटि आ रही है तो अभ्यर्थी का पर्याप्त परीक्षण किया जाकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी ।

7. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

2.24 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.25 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुन: पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.26 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.27 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.28 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.29 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

(i) ऑनलार्इ्न आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:-

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से

अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

(vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(ix) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.30 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ‘‘हॉ‘‘ विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प ‘‘हॉ‘‘ का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा

नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुन: शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.31 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.32 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.33 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.34 सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्र; एफ सी 3'15/2012/1/3 भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर, 2102 के अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही सम्पन्न की जावगी ।

2.35 पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात **पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन** का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.36 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

खण्ड-स

2.37आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
01-08-2017	30-08-2017	30	01-08-2017	04-09-2017	35

2.38 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स. क्रं.	परीक्षा प्रश्नपत्र	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र)	**22-10-2017 से 29-10-2017 तक**	**रविवार**	02 **घंटे**	**प्रात**: 09:00 **से** 11:00 **तक**	100
2.	हिन्दी, अंग्रेजी में दक्षता एवं सामान्य ज्ञान	**22-10-2017 से 29-10-2017 तक**	**रविवार**	03 **घंटे**	**सायं** 02:00 **से** 05:00 **तक**	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

2.39 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	**प्रश्नपत्रों की संख्या**	**अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये**	**अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)**	**आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क**	**सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये**
01.	**दो**	700/-	350/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/- रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरने पर 40/-	**निरंक**
02.	**एक**	500/-	250/-		**निरंक**

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	**प्रश्नपत्रों की संख्या**	**आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क**	**आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क**
01.	**एक**	20/-	50/-

2.40 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अत: परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

Proposed Exam City :			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर
5. उज्जैन	6. नीमच	7 . रतलाम	8. मंदसौर
9. सागर	10 सतना	11 खण्डवा	12. गुना
13 दमोह	14.कटनी	15. सीधी	16. बालाधाट

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.41

(i) **परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के** 1:30 **घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।**

(ii) **परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में** अभ्यर्थी **का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा।** अभ्यर्थी **के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।**

(iii) **बायोमेट्रिक के अतिरिक्त** अभ्यर्थी **को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।**

(iv) **पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।**

(v) **पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।**

(vi) अभ्यर्थी **को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।**

(vii) **पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।**

(viii) **अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।**

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थीअपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते है ।अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यकरूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

(x) **परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का** Normalisation ।**करने का प्रावधन पी.ई.बी; के पास सुरक्षित रहेगा ।**

(xi) **नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/ संशोधन किया जा सकता है ।**

(xii) **परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धातर तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।**

(xiii) **ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी ।**

(xii) **परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।**

अध्याय - 3

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

3.1 प्रश्न-पत्र - 1 (अधिकतम अंक-100):-

केवल तकनीकी पदों हेतु

उप निरीक्षक तकनीकि संवर्ग भर्ती वर्ष 2017 की लिखित परीक्षा हेतु रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक स्तर हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार रहेगा।

अंको का विभाजन निम्नानुसार रहेगा:-

1- रसायन शास्त्र	-	33
2- भौतिक शास्त्र	-	33
3- गणित	-	34
योगः	-	100

3.2 प्रश्न-पत्र - 2

(अधिकतम अंक-100)

तकनीकी एवं अतकनीकी पदों हेतु

English (10+2 Level) Marks-30

1. Tenses
2. Modals
3. Determiners
4. Articles
5. Voices
6. Narration
7. Prepositions
8. Clauses

An unseen passage with a variety of questions including marks for vocabulary such as word formation and inferring meaning.

The passagescould be any of the following two types :-

(a) Factual passages-e.g.instructions,descrptions,reports.

(b)Discursive passages-involving opinion e.g. argumentative, persuasive.

<u>पाठ्यक्रम हिन्दी (10+2 स्तर)</u>

भाषा बोध- **70 अंक**

शब्द निर्माण- (उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास) पर आधारित प्रश्न

समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द पर आधारित प्रश्न

अनेकार्थी शब्द पर आधारित प्रश्न

विलोम शब्द पर आधारित प्रश्न

पयार्यवाची शब्द पर आधारित प्रश्न

वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न

भाव पल्लवन/भाव विस्तार पर आधारित प्रश्न

वाक्य - अशुद्धि संशोधन पर आधारित प्रश्न

वाक्य परिवर्तन पर आधारित प्रश्न

मुहावरे/लोकोक्तियॉ पर आधारित प्रश्न

समास विग्रह तथा समास के भेद पर प्रश्न

संक्षिप्तिकरण पर प्रश्न

भिन्नार्थक समोच्चरित शब्द पर प्रश्न

पारिभाषिक, तकनीकी शब्दों के प्रयोग पर प्रश्न

वाक्य भेद (रचना, अर्थ के आधार पर) वाक्य रूपान्तर पर प्रश्न

शब्द युग्म पर प्रश्न

बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा पर प्रश्न

मुहावरे/ लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग पर प्रश्न

काव्य बोध-

काव्य की परिभाषा - भेद, मुक्तक काव्य, प्रबन्ध काव्य
(महाकाव्य, खण्डकाव्य) पर प्रश्न

रस - परिभाषा, अंग, भेद और उदाहरण पर प्रश्न

अलंकार- वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति पर प्रश्न

छन्द- गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला, रोला पर प्रश्न

रस परिचय, अंग, रस भेद- उदाहरण सहित अलंकार

छंद, काव्य की परिभाषा एवं काव्य के भेद काव्य गुण

क्षेत्रीय बोली-पहेलियाँ,चुटकुले,लोकगीत, लोक कथाओं का परिचय तथा खड़ी बोली में उनका अनुवाद ।

म.प्र. से प्रकाशित होने वाली हिन्दी भाषा की पत्र पत्रिकाओं की जानकारी ।

अपठित बोध -

एक गद्यांश - शीर्षक सारांश एवं प्रश्न

एक पद्यांश - शीर्षक, सारांश एवं प्रश्न

(अधिकतम अंक-100):-

तकनीकी एवं अतकनीकी पदों हेतु

सामान्य ज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रकार के मध्यप्रदेश राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य जानकारियों के अतिरिक्त गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषय आधारित प्रश्नों के साथ जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य बुद्धि गुणवत्ता के रीजनिंग संबंधी प्रश्न शामिल होंगे।

---0---

प्रारूप-1

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.13 एवं 2.14)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्‌वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्न क क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर..............................

दिनांक............................ आवेदक का नाम.......................................

प्रारूप-2

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.13 एवं 2.14)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर.............................

दिनांक............................ आवेदक का नाम.....................................

प्रारूप–3

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4” x 5” सेमी फोटो यहाँ चिपकाये

4” x 5” cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e vFkok vxth d y/k gLrk{kj ekU; ugh gkx A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria

स्व-घोषणा / Self-declaration

(उपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

अध्याय-4

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-4

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति/प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातिअनुसूचित / जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसीएक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें-:

1. जिलाध्यक्ष थवा जिलाध्यक्ष द्वाराअपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अ/ अधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये -

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग

जिला...

मध्य प्रदेश...............

पुस्तक क्रमांकप्रमाण पत्र क्रमांक...................................प्रकरण ....

क्रमांक.................................स्थायी जाति

<u>**प्रम्रमाण पत्र नियम-8 (1)**</u>

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री /श्रीमती/ कुमारीपिता/पति का नाम .... निवासी/ग्राम/नगर..विकास...
ल...........................जिला................................संभाग.............................खण्ड.........................तहसी / जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति..............जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध मेंअनुसूचित जातिजनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं अनुसूचित/ / और यह .... जातिजनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन) अधिनियम), 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांकपर अंकित हैं..............., अतः श्री / श्रीमती/कुमारी / जनजाति का/ पति का नाम ....अनुसूचित जात/ पिता...............................की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्रीश्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल / हैं।.................................वार्षिक आय रूपये

दिनांक .... हस्ताक्षर

(सीलप्रमाणीकरण अधिकारी का नाम (, पदनाम

प्रारूप-5

अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये/
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अनु.जनजाति के सदस्य/होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलव्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें-:

1. संबंधित राजस्व) अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नाय)व तहसीलदार। अस्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये -

(अस्थायी प्रम्रमाण पत्र नियम (8 (2)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभागमध्य प्रदेश..जिला......................................

पुस्तकक्रमांक-प्रमाणपत्र...........................क्रमांक प्रकरण..............................क्रमांक..................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्रीपिता/पति का नाम ....श्रीमती/कुमारी/ निवासी/ग्राम/नगर ....वि.ख. ....तहसील...जिला.................... संभाग..जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातिअनुसूजाति चत / जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) .... अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांकपर .... अंकित हैं, अतः श्री / श्रीमती / कुमारी अनुसूचित ....पिता/पतिकानाम.. /जाति जनजाति का / की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री /श्रीमती/कुमारीके .... परिवारकी कुल वार्षिक आय रूपये.....................................हैं।

दिनांक हस्ताक्षर ....

(सीलप्रमाणीकरण अधिकारी का (

नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

प्रारूप-6

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये

प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

(स्थायी जाति प्रमाण पत्र नियम (8(1)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभागदेशजिला...मध्यप्र..

पुस्तकक्रमांकप्रमाण पत्र क्रमांक..प्रकरण ....
....क्रमांक

जाति प्रमाण पत्र

2.यह प्रमाणित किया जाता हैं कि
श्रीपति का नाम / श्रीमती/कुमारी..पिता/
......निवास/ग्राम/नगर.................................वि.ख..................तहसील...
................................जिला
संभाग..मध्य प्रदेश के निवासी ....
हैं, जो.. जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जातिएवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वाराअधिमान्य किया गया हैं।

श्री
....श्रीमती/कुमारी...पिता/पतिकानाम/
और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला
संभाग....................................में निवासकरता हैं। यह भी प्रमाणित किया ....
मारी..क्रीमीलेयर (सम्पन्नवर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कु
श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केपरिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था एस.सी.टी.) दिनांक)8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य प्रदेशशासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र दिनांक/.8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ‘ई’ की अनुसूची के कालम)3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्रीके परिवार की .... श्रीमती/कुमारी/
कुलवार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर

(सीलप्रमाणीकरण अधिकारी का (

नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।

प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं।

जिलाध्यक्ष उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा/ ध्यक्षअपर जिला/ अन्य प्राधिकृत अधिकारी।

प्रारूप-7

अन्य पिछड़ा वर्गो के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

(अस्थायी जाति प्रमाण पत्र नियम (8(2)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभागजिला..मध्यप्रदेश..
पुस्तक क्रमांकप्रकरण ....प्रमाण पत्र क्रमांक..............................
क्रमांक...जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्रीपिता/पति का नाम ....श्रीमती/कुमारी/ निवास/ग्राम/नगर...वि.ख...
जिला.................................. ....हसील..
संभाग...............................मध्य प्रदेश केनिवासी हैं, जोजाति के हैं ...., जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचितजाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं।

श्रीश्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम / मध्य प्रदेश के जिला और/उनका परिवार सामान्यतः................................. संभाग में निवास करता हैं। यह प्रमाणितकिया जाता हैं कि .... श्री/श्रीमती/कुमारी..क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग व्यक्तियों/ वर्गो कीश्रेणी में (नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक360/2/22/93/स्था एस.सी.टी.) दिनांक)8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्यप्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र दिनांक/.8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई'की अनुसूची के कालम)3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्रीश्रीमती/कुमारी ....के / परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर

(सीलप्रमाणीकरण अधिकारी का (

नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं।
संबंधित राजस्व अधिकारीतहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार/ नायव तहसीलदार /
यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेंगा।

नोटवर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता हैं तो वह शासन के : द्वाराजारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।